।।कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा चूरू।।

क्रमांकः जिशिअ/मु./प्राशि/चूरू/संस्था–स/वरिष्ठता/2026/ दिनांकः

::कार्यालय आदेश::

श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू के आदेश क्रमांकः–सनि/स्कूल शिक्षा/चूरू/वरिष्ठता/2025/ दिनांक 11.11.2025 के क्रम में चूरू जिले में सीधी भर्ती/अन्तरजिला स्थानांतरण से दिनांक 01.04.2021 को कार्यरत समस्त अध्यापक एवं विशेष अध्यापक (लेवल प्रथम/द्वितीय) पुरूष/महिला (मिश्र) को सम्मलित करते हुए निर्धारित प्रारूप में अस्थायी सूची का एतद् द्वारा प्रकाशन किया जाता है।

उक्त प्रकाशित अस्थायी वरीष्ठता सूची में समस्त कार्मिक जिला क्षेत्राधीन जो दिनांक 01.04.2021 को जिले में अध्यापक पद पर कार्यरत रहे हैं, को सूचित किया जाता है कि जारी अस्थायी वरीष्ठता सूची के संबंध में यदि कोई एतराज/आपत्ति हो तो वर्णित तिथि अनुसार आपत्ति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे।

क्रस.	निर्धारित तिथि	विवरण
1.	12.01.2026 तक	संबंधित कार्मिक द्वारा पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु।
2.	14.01.2026 तक	संबंधित पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त आपत्ति परीक्षण उपरान्त वांछित दस्तावेज सहित मूल आपत्ति मय प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु।
3.	16.01.2026 तक	संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां, दस्तावेज मय संस्था प्रधान प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल ही ब्लॉक के प्रमाण पत्र सहित कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु।

चूरू संभाग के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अस्थायी वरीष्ठता सूची का प्रचार प्रसार करें। समस्त संबंधित कार्यालय आपत्ति प्राप्त करने एवं अग्रेषित करने का रिकार्ड सधारित करेंगे एवं कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। कोई भी कार्मिक सीधी ही आपत्ति स्थानिय कार्यालय को प्रेषित नहीं करेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा निर्धारित प्रारूप में पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य द्वारा अप्रमाणित आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संबंधित अध्यापक द्वारा वरीष्ठता सूची में नामांकन के अभाव/प्रवष्टियों में त्रुटि के संबंध में इस कार्यालय में यथासमय पर अवगत नहीं करवाये जाने की स्थिति में अध्यापक के वरीष्ठता/पदोन्नति संबंधी आने वाले सेवा संबंधी परीलाभों में उक्त संबंधी उत्तरदायित्व व्यक्तिशः स्वयं अध्यापक का ही होगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र प.14 (36) कार्मिक/क.2/2007 पार्ट.1 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार पात्र दिव्यांगता का अंकन यदि नहीं है तो दिव्यांगता का उल्लेख करते हुए मय अधिकृत क्षमता

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Prajapat
Designation : District Education Officer
Date: 2026.01.08 13:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19814395

प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति प्रेषित करें। यदि जारी अस्थायी वरीष्ठता सूची में कार्मिक की श्रेणी दिव्यांगता अंकन है, परन्तु नियमानुसार दिव्यांगता श्रेणी में कार्मिक नहीं है तो इसकी सूचना अलग से प्रेषित की जावे।

नोटः–उक्त प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची शाला दर्पण प्रपत्र 10 एवं वरिष्ठता सूचियों में उपलब्ध योग्यता/विवरण को सम्मिलित करते हुए तैयार की गयी है। अतः समस्त संबंधित संस्था प्रधान जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची का अवलोकन करते हुए अनिवार्य रूप से शाला दर्पण प्रपत्र.10 में अंकीत प्रविष्टियों/शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता का मिलान कार्मिक के मूल योग्यता/अंकतलारियां/प्रमाण पत्रों एवं सेवा रिकॉर्ड से करना सुनिश्चित करावें एवं किसी भी प्रकार की भिन्नता/आपत्ति की स्थिति में उपर्युक्त दिशा–निर्देशानुसार उचित माध्यम से ही आपत्ति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी। किसी भी त्रुटि/प्रतिकूल स्थिति के लिए संबंधित कार्मिक एवं संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे

संलग्न–अस्थायी वरिष्ठता सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा चूरू

क्रमांकः जिशिअ/मु./प्राशि/चूरू/संस्था–स/वरिष्ठता/2026/ दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा चूरू।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रभावी प्रबोधन कर पालना यथासमय सुनिश्चित करावें।
5. संबंधित पीईईओ/युसीईईओ/प्रधानाचार्य..... को निर्देशित किया जाता है कि पालना यथासमय सुनिश्चित करावें।
6. संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Prajapat
Designation : District Education Officer
Date: 2026.01.08 13:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19814395

सामान्य निर्देश

1. विभाग के विभिन्न आदेश के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित कार्मिक के रूप में नियुक्त अनेक अध्यापक वर्तमान में राज्य सरकार के अन्य विभागों/विभागीय परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति/कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत है, जिनका विभागीय पोर्टल शाला दर्पण पर अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू स्तर से प्रकाशित दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में कार्यरत अध्यापकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने से छूट/रह सकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग में/विभाग से अन्यत्र कार्यरत/पदस्थापित समस्त विभागीय कार्मिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाकर व्यादशिष्ट किया जाता है कि वे विभागीय वेब साईट अथवा अन्य समुचित माध्यमों द्वारा इस कार्यालय स्तर पर प्रकाशित की जारी वरिष्ठता सूची का अवलोकन करते हुए संबंधित वरिष्ठता सूची में स्वयं के नाम के यथा स्थान सम्मिलित किए जाने एवं सूची में स्वयं से संबंधित अन्य प्रविष्टियों की पुष्टि की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें। संबंधित अध्यापक द्वारा वरिष्ठता सूची में नामंकान के अभाव/प्रविष्टियों में त्रुटि के संबंध में इस कार्यालय में यथा समय अवगत नहीं करवाये जाने की स्थिति में कार्मिक के वरिष्ठता/पदोन्नति संबंधी आगामी सेवा संबंधी परिलाभों से वंचित रहने की स्थिति में उक्त संबंधी उत्तरदायित्व व्यक्तिशः स्वयं अध्यापक का ही होगा।
2. अध्यापक वरिष्ठता सूची से संबंधित कार्मिक प्रदत्त निर्धारित प्रारूप को पी.ई.ई.ओं/यू.सी.ई.ई.ओं/प्रधानाचार्य से प्रमाणित एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए आपत्ति निर्धारित समय सीमा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अध्यापक वरिष्ठता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत करने से पूर्व कार्मिक/प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि कार्मिक दिनांक 01.04.2021 को चूरू जिले में कार्यरत था।
4. अध्यापक वरिष्ठता सूची में नामांकन हेतु वरिष्ठता नामांकन प्रारूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें (नवीन नामांकन हेतु)

   (प) कार्मिक प्रथम नियुक्ति आदेश, अध्यापक पद पर कार्यग्रहण रिपोर्ट, शैक्षिक व प्रशिक्षक योग्यताएं की अंकतलारियों की प्रति के साथ वरिष्ठता नामांकन प्रारूप के साथ प्रस्तुत करें।

   (पप) सीधीं भर्ती से संबंधित कार्मिक भर्ती से संबंधित प्रथम नियुक्ति आदेश (जिसमें भर्ती वर्ष व मेरिट का उल्लेख हो), कार्यग्रहण रिपोर्ट, स्थायीकरण आदेश, शैक्षिक व प्रशिक्षक योग्यताएं की अंकतलारियों की प्रति के साथ वरिष्ठता नामांकन प्रारूप के साथ प्रस्तुत करें।

   (पपप) अन्तरजिला स्थानान्तरण से चूरू जिले में कार्यरत कार्मिक को वरिष्ठता में नामांकन हेतु स्थानान्तरण आदेश की प्रति, कार्यग्रहण रिपोर्ट, कार्यमुक्ति रिपोर्ट एवं पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन प्रपत्र (प्रपत्र.6) शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यताएं की अंकतलारियों की प्रति वरिष्ठता नामांकन प्रारूप के साथ प्रस्तुत करें।
5. चूरू जिले से अन्य जिले में अन्तरजिला स्थानान्तरण से कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक पृथक से प्रार्थना पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित) स्थानान्तरण आदेश की प्रति, कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति रिपोर्ट के साथ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विलोपन प्रपत्र हेतु आवेदन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Prajapat
Designation : District Education Officer
Date: 2026.01.08 13:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19814395

6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त अपने अधीन पी.ई.ई.ओं/यू.सी.ई.ई.ओं/प्रधानाचार्य से उनके अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों की प्रविष्टियां मिलान किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिन कार्मिकों द्वारा स्थानीय कार्यालय में पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन प्रपत्र प्रेषित नहीं किये गये है, वे अपना वरिष्ठता विलोपन प्रपत्र (प्रपत्र 6) स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. कार्मिक विभाग के परिपत्र परिपत्र प.14 (36) कार्मिक/क.2/2007 पार्ट 1 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार वरिष्ठता सूची में अंकीत आशार्थी जो उक्त परिपत्र में वर्णित दिव्यांगजन की श्रेणी अ, ब, स. द. में पात्र दिव्यांगता का अंकन यदि नहीं है तो उक्त कार्मिक को दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता का उल्लेख करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करें। यदि जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची में कार्मिक की श्रेणी दिव्यांगता अंकीत है, परन्तु नियमानुरूप दिव्यांगता श्रेणी में कार्मिक नहीं आता है। तो इसकी सूचना अलग से प्रेषित की जावें।
9. उक्त जारी सूची पूर्ण रूप से अस्थायी है, जिसमें प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त एवं कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर स्थायी सूची जारी की जायेगी।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्राधीन मॉडल विद्यालय/एकलव्य/कस्तूरबा/महात्मा गॉधी विद्यालयों के कार्मिकों की सूचना भी निर्धारित तिथि तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।
11. जिन कार्मिकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची में योग्यता का अंकन होने की स्थिति में उनका सेवा रिकॉर्ड से मिलान किया जावें एवं स्थायी वरिष्ठता सूची में अंकीत/इन्द्राज योग्यता के कार्यालय द्वारा पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।
12. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार 01 अप्रैल पर कार्यरत कार्मिकों के आधार पर वरिष्ठता सूची प्रतिवर्ष जारी की जाना है, उपर्युक्त वरिष्ठता सूची में पदोन्नति से सम्बंधित वांछित योग्यता का ही इन्द्राज किया जावेगा। अन्य योग्यताएं के लिए यथा–एम.एड., पी.एच.डी. एवं अन्य के लिए नियमानुरूप संबंधित कार्मिक द्वारा नियमानुरूप विभागीय पोर्टल/सेवा रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः–उक्त प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची शाला दर्पण प्रपत्र 10 एवं वरिष्ठता सूचियों में उपलब्ध योग्यता/विवरण को सम्मिलित करते हुए तैयार की गयी है। अतः समस्त संबंधित संस्था प्रधान जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची का अवलोकन करते हुए अनिवार्य रूप से शाला दर्पण प्रपत्र.10 में अंकीत प्रविष्टियों/शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता का मिलान कार्मिक के मूल योग्यता/अंकतलारियां/प्रमाण पत्रों एवं सेवा रिकॉर्ड से करना सुनिश्चित करावें एवं किसी भी प्रकार की भिन्नता/आपत्ति की स्थिति में उपर्युक्त दिशा–निर्देशानुसार उचित माध्यम से ही आपत्ति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी। किसी भी त्रुटि/प्रतिकूल स्थिति के लिए संबंधित कार्मिक एवं संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Prajapat
Designation : District Education Officer
Date: 2026.01.08 13:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19814395

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यलाय) प्रारम्भिक शिक्षा चूरू

जिले में 01.04.2021 को कार्यरत अध्यापक एवं विशेष अध्यापक (लेवल प्रथम/द्वितीय) अस्थायी वरिष्ठता सूची जिला–चूरू

| S. N. | NAME AND PLACE OF POSTING | | RANGE SEN. NO. | | DISTRICT SEN. NO. | | NAME OF THE DISTRICT | DOB | GENDER | CATEGORY | DIS. | EMP ID | EDUCATION QUALIFICATION | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |